"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2009—कार्तिक 22, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 1-4/2009/1-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 07 नवम्बर, 2009 दिन शनिवार को मतदान हेतु उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सामान्य अवकाश का दिन घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-4-2009/1-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर में उप निर्वाचन हेतु नियम मतदान की तिथि 07 नवम्बर, 2009 दिन शनिवार को मतदान हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 सहपठित "परक्राम्य में लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (सन् 1881 का क्रमांक 26)" की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में, सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 31-10-2009 से 11-11-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर (इजिप्त) विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रीवास्तव के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से., सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 16-11-2009 से 24-12-2009 तक (39 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15 नवम्बर एवं 25 दिसम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता पी. आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती संगीता पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संगीता पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती संगीता पी. के उक्त अवकाश अवधि में श्री टी. के. वर्मा, अपर कलेक्टर, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, ज़िला उ. ब. कांकेर को दिनांक 29-8-2009 से 15-09-2009 तक (18 दिवस) का लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर जिला उ. ब. कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/8/2008/1/2.—श्री के. सी. देवसेनापति, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव, जिला बस्तर को दिनांक 15-10-2009 से 31-10-2009 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री देवसेनापति आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव जिला बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री देवसेनापति को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवसेनापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 22-10-2009 से 23-10-2009 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 8-1/2007/11/(6).— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3748 को दिनांक 11-10-2009 से दिनांक 28-02-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ ब्रायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी 2009-10 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत्.

क्रमांक 3405A/एफ-8-4/2008-09/रबी/14-2.— भारत सरकार का कृषि विभाग के पत्रांक 13011/15/99/क्रेडिट-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004-Credit-II दिनांक 11-08-2009 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सहर्ष सूचित करता है कि रबी 2009-10 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जाएगी.

निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है

1. गेंहू सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

अधिसूचित क्षेत्र

सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

1 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गयी ऋण राशि रबी 2009-10 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2009 होगी.

जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

सम्बंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे.

समय-सारणी

माह के वितरीत ऋण	घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने की समय-सीमा
अक्टूबर, 2009	30 नवम्बर, 2009
नवम्बर, 2009	31 दिसंबर, 2009
दिसम्बर, 2009	31 जनवरी, 2010
जनवरी, 2010	28 फरवरी, 2010
फरवरी, 2010	31 मार्च, 2010
मार्च, 2010	30 अप्रैल, 2010 (मौसम की अंतिम तिथि)

शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2010.

अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर निम्नानुसार होंगे—

क्रमांक	फसल	क्षतिपूर्ति स्तर	सामान्य प्रीमियम दर	वास्तविक प्रीमियम दर
1	गेहूं असिंचित	80%	1.50%	5.45%
2	गेहूं सिंचित	80%	1.50%	4.50%
3	चना	80%	2.00%	6.10%
4	राई-सरसों	60%	2.00%	6.40%
5	अलसी	60%	2.00%	7.45%
6	आलू	80%	लागू नहीं	5.25%

ऋणी किसान के लिये बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150% औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिये वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिये बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150% औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

प्रीमियम में अनुदान

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10% अनुदान की पात्रता होगी और लघु एवं सीमांत किसान के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90% राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिये मांग विकर्षसहित घोषणा पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रायपुर को भेजना होगा.

बैंक सर्विस चार्जेस

सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

दावा गणना

दावा की गणना आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकडों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद वर्मा, अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2009-10 मौसम में अधिसूचित तहसील एवं फसलों के सूची

फसल-गेहूं सिंचित

जिला (1)	परिभाषित तहसीलें (2)
रायपुर	1. रायपुर
	2. तिल्दा
	3. भाटापारा
	4. आरंग
	5. सिमगा
	6. पलारी
महासमुंद	1. महासमुंद (बागबाहरा तहसील सहित)
दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. धमधा
	4. बेमेतरा
	5. बेरला
	6. साजा
	7. गुण्डरदेही
	8. नवागढ़
कवर्धा (कबीरधाम)	1. बोड़ला
	2. कवर्धा
	3. सहसपुर लोहारा
बिलासपुर	1. बिलासपुर
	2. कोटा
	3. बिल्हा
	4. मस्तुरी
	5. तखतपुर
	6. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सहित)
	7. मुंगेली
	8. पथरीया
जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर (अकलतरा एवं बलौदा तहसील सहित)
रायगढ़	1. रायगढ़ (पुसौर तहसील सहित)
सरगुजा	1. अंबिकापुर (उदयपुर तहसील सहित)
	2. राजपुर
	3. लुण्ड्रा
	4. सीतापुर (मैनपाट तहसील सहित)
	5. सुरजपुर
	6. प्रतापपुर

(1)	(2)
	7. वाड्रफनगर
	8. शंकरगढ़ (कुसुमी तहसील सहित)
	9. लखनपुर
	10. बतौली
	11. ओड़गी
	12. भैयाथान
	13. रामानुजनगर
	14. रामचन्द्रपुर
	15. बलरामपुर
कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
	2. मनेन्द्रगढ़ (खड़गवां तहसील सहित)
	3. भरतपुर
जशपुर	1. बगीचा (कांसाबेल तहसील सहित)
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव (छुरिया तहसील सहित)
	2. डोंगरगांव
	3. डोंगरगढ़
	4. खैरागढ़ (छुईखदान तहसील सहित)

फसल-गेहूं असिंचित

(1)	(2)
रायपुर	1. पलारी
दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. गुण्डरदेही
	4. धमधा
	5. बेमेतरा
	6. बेरला
	7. नवागढ़
	8. साजा
	9. डौंडीलोहारा
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव (छुरिया तहसील सहित)
	2. डोंगरगढ़
	3. खैरागढ़
	4. छुईखदान
कवर्धा (कबीरधाम)	1. कवर्धा
	2. पण्डरिया
	3. बोड़ला
	4. सहसपुर लोहारा

(1)	(2)
बिलासपुर	1. मुंगेली
	2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सहित)
	3. लोरमी
	4. बिलासपुर
	5. पथरीया

फसल-चना

(1)	(2)
रायपुर	1. रायपुर
	2. आरंग
	3. तिल्दा
	4. अभनपुर
	5. सिमगा
	6. भाटापारा
	7. पलारी
धमतरी	1. धमतरी
	2. कुरूद
दुर्ग	1. दुर्ग
	2. पाटन
	3. बालौद
	4. धमधा
	5. बेमेतरा
	6. बेरला
	7. नवागढ़
	8. साजा
	9. गुरूर
	10. गुंडरदेही
	11. डौंडीलोहारा
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगढ़
	3. छुईखदान
	4. खैरागढ़
	5. डोंगरगांव
	6. छुरिया
कवर्धा (कबीरधाम)	1. कवर्धा
	2. पंडरिया
	3. बोड़ला
	4. सहसपुर लोहारा

(1)	(2)
बिलासपुर	1. तखतपुर
	2. मुंगेली
	3. लोरमी
	4. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सहित)
	5. पथरीया
जशपुर	1. पत्थलगांव
सरगुजा	1. अंबिकापुर (लखनपुर तहसील सहित)

फसल-अलसी

धमतरी	1. कुरूद
	2. धमतरी
	3. नगरी
	4. मगरलोड़
दुर्ग	1. पाटन
	2. गुंडरदेही
	3. बेमेतरा
	4. बेरला
	5. नवागढ़
	6. डौंडीलोहारा
	7. बालोद
	8. गुरूर
राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
	2. डोंगरगढ़
	3. छुईखदान
	4. खैरागढ़
	5. डोंगरगांव
	6. मोहला
	7. अंबागढ़-चौकी
	8. छुरिया
कवर्धा (कबीरधाम)	1. पंडरिया
बिलासपुर	1. मुंगेली
	2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सहित)
	3. कोटा
	4. पथरीया
जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर (अकलतरा और बलौदा तहसील सहित)
	2. चांपा (सक्ति तहसील सहित)

(1)	(2)
कोरबा	1. करतला
	2. पाली
जशपुर	1. पत्थलगांव
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. लखनपुर
	3. राजपुर
	4. रामानुजनगर
	5. प्रतापपुर
	6. रामचन्द्रपुर
	7. वाड्रफनगर
	8. लुण्ड्रा
	9. बलरामपुर
कोरिया	1. बैकुण्ठपुर

फसल-राई-सरसों

धमतरी	1. धमतरी
	2. कुरुद
कवर्धा (कबीरधाम)	1. बोड़ला
	2. पण्डरिया
बस्तर	1. बस्तानार
	2. कोंडागांव
	3. दरभा
कांकेर	1. अंतागढ़
	2. पखांजुर
दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
	2. कटेकल्याण
बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सहित)
	2. कोटा
	3. पेण्ड्रा
कोरबा	1. पोड़ीउपरोड़ा
रायगढ़	1. लैलूंगा

(1)	(2)
जशपुर	1. मनोरा
	2. बगीचा
सरगुजा	1. अंबिकापुर
	2. राजपुर
	3. लुण्ड्रा
	4. लखनपुर
	5. उदयपुर
	6. प्रतापपुर
	7. बतौली
	8. मैनपाट
	9. ओड़गी
	10. रामानुजनगर
	11. प्रेमनगर
	12. रामचन्द्रपुर
	13. बलरामपुर
	14. वाड्रफनगर
	15. कुसुमी
	16. शंकरगढ़
कोरिया	1. सोनहत
	2. मनेन्द्रगढ़
	3. भरतपुर
	4. बैकुण्ठपुर
	5. खड़गवां

फसल-आलू

सरगुजा	**1. अंबिकापुर (लखनपुर तहसील सहित)**
	2. मैनपाट
	3. सुरजपुर
	4. भैयाथान
जशपुर	**1. बगीचा**

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 7-16/2009/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 57) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (5), धारा 23बी तथा धारा 24 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी अनुसूची की तत्स्थानी प्रविष्टियों के सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रयोक्तव्य होगी :—

अनुसूची

स. क्र.	अधिनियम की धारा	अधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	21 (5)	खनि अधिकारी	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.
2.	23 बी	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ या संचालक द्वारा विशेष प्रकरण हेतु नामित अधिकारी.	सम्पूर्ण राज्य
		अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक, (खनिज प्रशासन) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़.	सम्पूर्ण राज्य
		उप संचालक, (खनिज प्रशासन) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़.	सम्पूर्ण राज्य
		कलेक्टर/अपर कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.
		उप संचालक (खनिज प्रशासन)/जिले में पदस्थ होने की स्थिति में.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.
		खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.
3.	24 (1) तथा (2)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ या संचालक द्वारा विशेष प्रकरण हेतु नामित अधिकारी.	सम्पूर्ण राज्य
		अतिरिक्त संचा[illegible]युक्त संचालक, (खनिज प्रशासन) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़.	सम्पूर्ण राज्य
		उप संचालक, (खनिज प्रशासन)/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़.	सम्पूर्ण राज्य
		कलेक्टर/अपर कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)
		उप संचालक (खनिज प्रशासन)/जिले में पदस्थ होने की स्थिति में.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.
		खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक.	उनके अपने-अपने जिले की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 03 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 7-16/2009/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-16/2009/12, दिनांक 03 नवम्बर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 03rd November 2009

No. 7-16/2009/12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) Section 26 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (5) of Section 21, Section 23B and sub-section (1) and sub-section (2) of Section 24 of the said Act shall also be exercisable by the officers specified in the Schedule below for the areas specified against the corresponding entries thereof.

SCHEDULE

Sr. No.	of	Officers	Areas
(1)	(2).	(3)	(4)
1.	21 (5)	Mining Officer	Areas comprised within the limit of their respective districts.
2.	23 B	Director of Geology & Mining, Chhattisgarh, or Officer nominated by the Director for particular case.	Whole of the State

(1)	(2)	(3)	(4)
		Additional Director/Joint Director (Mineral Administration) of Geology & Mining, Chhattisgarh.	Whole of the State
		Deputy Director (Mineral Administration) Directorate of Geology & Mining, Chhattisgarh.	Whole of the State
		Collector/Additional (Collector of Senior I.A.S. Scale).	Areas comprised within the limit of their respective districts.
		Deputy Director (Mineral Administration) when posted in District.	Areas comprised within the limit of their respective districts.
		Mining Officer/Assistant Mining Officer/ Mining Inspector.	Areas comprised within the limit of their respective districts.
3.	24 (1) and (2)	Director of Geology & Mining, Chhattisgarh, or Officer nominated by the Director for particular case.	Whole of the State
		Additional Director/Joint Director (Mineral Administration) of Geology & Mining, Chhattisgarh.	Whole of the State
		Deputy Director (Mineral Administration) Directorate of Geology & Mining, Chhattisgarh.	Whole of the State
		Collector/Additional (Collector of Senior I.A.S. Scale).	Areas comprised within the limit of their respective districts.
		Deputy Director (Mineral Administration) when posted in District.	Areas comprised within the limit of their respective districts.
		Mining Officer/Assistant Mining Officer/ Mining Inspector.	Areas comprised within the limit of their respective districts.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 भाग सात, धारा 58 की उपधारा (45) एवं सहपठित धारा 18 (1), वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन्स एक्ट, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-05-2002 में मनोनीत अधिकारी श्री डी. एस. मिश्रा, छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग तथा श्री आर. सी. शर्मा, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन्स के संचालक मण्डल में निम्नलिखित अधिकारियों को संचालक मनोनीत करता है :—

01. श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग.

02. श्री ए. के. सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य वनोपज संघ मर्या., रायपुर.

उक्त निगम का प्रधान कार्यालय रायपुर में होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 09 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-8-83/35/रो.अ./2009/831.—ग्लैन्डर्स एवं फारसी अधिनियम, 1899 (क्रमांक 13 सन् 1899) की धारा 4, 5, 6, 7 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (हरियाणा) द्वारा रायपुर के लाखेनगर क्षेत्र के सारथी चौक के चार अश्व में ग्लैन्डर्स रोग की पुष्टि के फलस्वरूप, निरीक्षकों की नियुक्ति करते हुए, बीमार अश्वों के पृथक्करण, रोग नियंत्रण, जांच, आवागमन पर प्रतिबंध, जब्ती, परीक्षण एवं रोगग्रस्त अश्वों के विनष्टिकरण एवं क्षेत्र के निःसंक्रमण के प्रयोजन हेतु, लाखेनगर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करती है.

No. F-8-83/35/2009/831.—In exercise of the powers conferred by section 4, 5, 6, 7 and 8 of the Glanders And Farcy Act, 1899 (No. 13 of 1899) the State Government, hereby, declares Lakhenagar area of Raipur, prohibited zone by appointing inspectors in lieu of the report by National Research Centre on Equines, Hisar (Haryana) confirming Glanders disease in 4 horses of Sarthi Chowk, Lakhenagar area of Raipur, Chhattisgarh, for the purpose of isolation, disease control, search, prevention of transportation, seizure, examination and destruction of diseased horses and disinfection of area

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र. 23/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सिंघनपुरी	0.243	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	सिंघनपुरी-जैतनवागांव मार्ग पर मनियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्र. अ. भू.-अ. प्र. क्र./1590/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य [illegible] इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	चिल्हाटीकला प. ह. नं. 38	1.50	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग-दुर्ग.	पारी जलाशय के डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्र. अ. भू.-अ. प्र. क्र./1667/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डी	सिंगनवाही प. ह. नं. 16.	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग (छ. ग.)	पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

क्रमांक/7969/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	कसरा	0.20	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	ग्राम भांडी से कसरा तक सड़क निर्माण के लिए भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	सलका	153.968	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./18/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	सरगवां	114.549	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./19/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नुनेरा	7.227	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	कलचा	26.567	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./21/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	खम्हरिया	130.299	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	लेवई प. ह. नं. 4/29	7.781	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा (तुलसी).	कोनी उपनहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

भाटापारा शाखा नहर के अन्तर्गत कोनी उपनहर के निर्माण हेतु

क्र	कृषकों का नाम एवं वल्दियत	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार			विवरण
					धनहा	भर्री	भाठा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ढेलूं, मुखी, भगवंती, भार्गवत, अनील, सांवत, ढेली, भगवंतीन, पंचम.	485/1	0.344	0.259	0.259			
2.	राजकुमार पिता बद्रीनारायण	486/1	0.936	0.028	0.028			
3.	सरोज देवी पति विजय कुमार	486/10	1.872	0.186	0.186			
4.	प्रमोद कुमार पिता जगतनारायण	497/1	3.294	0.304	0.304			
5.	भीमसेन पिता काहूमल सिंधी	497/2	4.969	0.291	0.291			
		513/12	0.304	0.004	0.004			
		517	0.583	0.121	0.121			
6.	होलसिंह पिता जयसिंह, सनत कुमार, संतोष कुमार पिता गोवर्धन.	498/1	1.360	0.235	0.235			
7.	संतोषकुमार शिवकुमार पिता बैसाखूं	524	0.599	0.109	0.109			
8.	जगतनारायण त्रिजुगीनारायण	499/1	0.081	0.02	0.02			
9.	ना. बा. भीखम पिता रतिराम वली पिता-रतिराम व मोहन.	499/2	1.767	0.312	0.312			
10.	सोनारीबाई पिता मोहन	499/4	0.393	0.089	0.089			
11.	बेदराम पिता पुसउ सतनामी	499/5	0.562	0.032	0.032			
12.	डी. लक्ष्मण राव पिता डी. रंगाराव	500/1	5.015	0.162	0.162			
13.	कृपाराम, कुलपत, जयनारायण पिता पढना, बलीराम, महाबली, सीताराम, राधेलाल, जानाबाई पिता सियाराम, पुन्नीबाई पिता श्रीराम.	518/1	0.239	0.134	0.134			
14.	गीताराम, हीराराम पिता दर्शन	518/2	0.158	0.097	0.097			
15.	भागवत सिंह पिता भैयासिंह	520/1 521/1	1.173	0.192	0.192			
16.	समेलाल पिता दशरथ	521/6	0.368	0.131	0.131			
17.	झाडू पिता रमेशर सतनामी	519/1 521/1	0.778	0.202	0.202			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	सुखीराम वो सत्तर वो धरम वो बिरीजबाई वो कुमारीबाई पिता बिसाहू गोड.	521/3 ग	0.290	0.109	0.109			
19.	शुकवारोबाई पिता शिवसिंह	521/3 घ	0.589	0.119	0.119			
20.	खोरबाहरा पिता लाला गोड	522/1-2-3	1.104	0.024	0.024			
		991/2	2.243	0.231	0.231			
21.	श्री राधाकृष्ण मंदिर सर्वराकार	523/1	0.405	0.324	0.324			
22.	श्री राधाकृष्ण मंदिर सर्वराकार	1010	0.721	0.020	0.020			
	सीताराम व अर्जूनदास	1014	1.056	0.364	0.364			
23.	रामबाई, शामबाई, जामबाई पिता लालू	523/2	0.202	0.020	0.020			
24.	विशाल पिता गुहरी	539 घ	0.113	0.036	0.036			
25.	जगन्नाथ, केदार, ना. बा. बोधन पिता शंकर तेली.	991/1	1.275	0.146	0.146			
26.	जगन्नाथ, प्रहलाद, गंगाबाई, गंगोत्री, सुखिनबाई, पुनउ, वो झुनिया पिता सीताराम, इंदिया बेवा सीताराम.	1018/2	0.166	0.016	0.016			
27.	मनटौराबाई जौ. मोतीराम गोड	991/5.8	1.335	0.178	0.178			
28.	मनटोराबाई पति मोतीराम गोड	1015	0.433	0.069	0.069			
29.	गयाराम पिता बरन, बुधियारिन बेवा बरन, फुलकुंवर बेवा घासीराम.	1016	0.372	0.255	0.255			
30.	पुनसाय पिता खखालू गोड	1017	0.162	0.053	0.053			
31.	जयदेव रामधीन, रामदयाल, सोमनाथ पिता रहघू, फूलबाई, रहघू.	1018/1	0.640	0.304	0.304			
32.	साधबाई वो शतरूपाबाई पिता सेवकदास मनटोरा बेवा सेवकराम.	1021	1.408	0.425	0.425			
33.	इतवारी, मालिकराम, बिसाहीन, जमूना, सुखियारिन पिता सियाराम कुंवरिया पिता-सुकुल.	1022	0.125	0.004	0.004			
34.	दुकालू पिता शिवप्रसाद कोष्टा	1023	0.421	0.081	0.081			
35.	लच्छीराम पिता तुंगन डीमर	1049/1	0.109	0.085	0.085			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36.	जगदीश पिता तुंगन डीमर	1049/26	0.226	0.101	0.101			
37.	जगदीश पिता तुंगन डीमर	1049/8	0.094	0.040	0.040			
38.	जगदीश पिता तुंगन डीमर	1049/9	0.093	0.093	0.093			
39.	अधिनराम पिता भक्लू कोष्टा	1049/12	0.405	0.138	0.138			
40.	मालिकराम पिता भक्लू कोष्टा	1049/11	0.347	0.133	0.133			
41.	ना. बा. राजेन्द्र दिलीप पिता तिहारू व धनवार.	1050/1	0.582	0.182	0.182			
42.	जितेन्द्र कुमार मदन प्रसाद	1050/2	0.154	0.020	0.020			
43.	लखन मारवन पिता घसिया इन्द्री बेवा घसिया नाई.	1051/1	1.226	0.202	0.202			
44.	नन्दराम पिता सुखराम कुर्मी	1051/2	0.222	0.012	0.012			
45.	बलीराम पिता पंचम सतनामी	1080/1	0.304	0.242	0.242			
46.	पिरीतराम पिता उदेराम मेहर	1080/6-7	0.891	0.020	0.020			
		1080/15	0.454	0.162	0.162			
47.	बैसाखूराम पिता रामसिंह मेहर	1080/8	0.405	0.129	0.129			
48.	बुधारा बाई पति तिहारू सतनामी	1080/17	0.202	0.028	0.028			
		1080/18	0.708	0.020	0.020			
49.	तेजराम पिता खोरबाहरा गोड	1080/16	0.708	0.327	0.327			
50.	बुधूराम पिता उदेराम मेहर	1080/14	0.202	0.161	0.161			
	योग	58		7.781	7.781			
	शासकीय भूमि रास्ता	483		0.494	0.053			
		922		4.022	0.105			
	कुल योग	2.		4.516	0.158			
					7.939			

टीप :— उ[illegible] ...पे पर कब्जित व्यक्तियों के अनुसार है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग; दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक/1691/अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-टेकापार, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5	0.15
योग		0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरूभाट जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक/1692/अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूभाट, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	49	0.70
	137	0.36
	139	0.05
	140	0.60
योग	4	1.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय नहरनाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक/1693/अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हे, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
366/1	0.35
योग 1	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला-सरगुजा (छ. ग.)

सरगुजा, दिनांक 13 जुलाई 2009

क्रमांक/957/पंचा./2009.—छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 4618/2009/18/3971 रायपुर दिनांक 04 अगस्त 2009 एवं विशेष सचिव छ. ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्र./ 102/पं./निर्वाचन/2009 रायपुर दिनांक 11 अगस्त 2009 के परिपालन में ग्राम पंचायत प्रेमनगर जनपद पंचायत प्रेमनगर को नगर पंचायत गठित करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत मैं डॉ. कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर जिला-सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित ग्राम को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करता हूं.

अनुमूची-1

नगर पंचायत प्रेमनगर के गठन हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
1.	प्रेमनगर

अनुसूची-2

ग्राम पंचायत प्रेमनगर की सीमा ही नगर पंचायत प्रेमनगर की सीमा होगी.

No./957/Panchayat/2009.—In reference of Letter No. 4618/2009/18/3971, Raipur Dated 04-08-2009 written by Secretary the Govt. of Chhattisgarh, Urban Administration & Development Deptt. and Letter No. 102/pan/election/ 2009 written by Govt. of C. G. Panchayat & Rural Development Deptt. Gram Panchayat Premnagar is constituted as Nagar Panchayat Premnagar Janpad Panchayat Premnagar. For the above purpose. I Dr. Kamalpreet Singh Collector, Distt. Surguja hereby disestablished the Following "Gram" Written in Schedule-1, In exercise the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 section 126.

SCHEDULE-1

After constitute Nagar Panchayat Premnagar disestablished "gram" is as under

S. No.	Name of Gram
1.	Premnagar

SCHEDULE-2

The Boundries of disestablished gram Panchayat, Premnagar is the boundries of Nagar Panchayat Premnagar.

सरगुजा, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक/741/पंचा./2009.—छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-1/48/18/2008 रायपुर दिनांक 07 फरवरी 2009 के द्वारा ग्राम पंचायत जूना लखनपुर को नगर पंचायत लखनपुर में सम्मिलित करने के फलस्वरूप छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत मैं डॉ. कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर जिला-सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित ग्राम को नगर पंचायत लखनपुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप विस्थापित करता हूं.

अनुसूची-1

नगर पंचायत लखनपुर में सम्मिलित हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
1.	जूना लखनपुर

अनुसूची-2

राजस्व ग्राम जूना लखनपुर एवं नगर पंचायत लखनपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत लखनपुर की सीमा होगी.

No./741/Panchayat/2009.—In reference of Gazette Notification No. F-1/48/18/2008 Raipur Dated 07-02-2009 [illegible]blished by the Govt. of Chhattisgarh, Urban Administration & Development Deptt. for Merging A Gram Pancha[illegible]at Juna Lakhan Pur to Nagar Panchayat Lakhanpur. For the above purpose. I Dr. Kamalpreet Singh Collector, Distt. Surguja hereby disestablished the Following "Gram" Written in Schedule-1, In exercise the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 section 126.

SCHEDULE-1

After constitute Nagar Panchayat Lakhanpur Merged "gram" is as under :—

S. No.	Name of Gram
1.	Juna Lakhanpur

SCHEDULE-2

The Boundries of Revenue Village Panchayat Juna Lakhanpur and Nagar Panchayat Lakhanpur will be the boundries of Nagar Panchayat Lakhanpur.

सरगुजा, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक/741/पंचा./2009.—छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-1/34/18/2008 रायपुर दिनांक 07 मई 2009 के द्वारा ग्राम पंचायत जरही जनपद पंचायत प्रतापपुर को नगर पंचायत गठित करने के फलस्वरूप छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत मैं डॉ. कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर जिला-सरगुजा

निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित ग्राम को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करता हूं.

अनुसूची-1

नगर पंचायत जरही के गठन हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
1.	जरही

अनुसूची-2

ग्राम पंचायत जरही की सीमा ही नगर पंचायत जरही की सीमा होगी.

No./741/Panchayat/2009.—In reference of Gazette Notification No. F-1/34/18/2008 Raipur Dated 07-05-2009 Published by the Govt. of Chhattisgarh, Urban Administration & Development Deptt. for constitute A Nagar Panchayat Jarhi Janpad Panchayat Pratappur. For the above purpose. I Dr. Kamalpreet Singh Collector, Distt. Surguja hereby disestablished the Following "Gram" Written in Schedule-1, In exercise the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 section 126.

SCHEDULE-1

After constitute Nagar Panchayat Jarhi disestablished "gram" is as under

S. No.	Name of Gram
1.	Jarhi

SCHEDULE-2

The Boundries of disestablished gram Panchayat, Jarhi is the boundries of Nagar Panchayat Jarhi.

कमलप्रीत सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2009

No. 20 (Mis)/I-7-3/2010 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2010 :—

Summer Vacation :- Monday 17th May to Friday 11th June, 2010

Winter Holidays :- Monday 20th December to Friday 31st December, 2010

S. No. (1)	Name of Holidays (2)	No. of Holidays (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	New Year Day	1	01-01-2010	Friday
2.	Republic Day	1	26-01-2010	Tuesday
3.	Mahashivratri	1	12-02-2010	Friday
4.	Milad-Un-Nabi	1	27-02-2010	Saturday
5.	Holi Holidays	2	01-03-2010 to 02-03-2010	Monday to Tuesday
6.	Ram Navami	1.	24-03-2010	Wednesday
7.	Good Friday	1	02-04-2010	Friday
8.	Raksha Bandhan	1	24-08-2010	Tuesday
9.	Janmashtami	1	02-09-2010	Thursday
10.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2010	Saturday
11.	Dashera Holidays	5	11-10-2010 to 15-10-2010	Monday to Friday
12.	Deepawali Holidays	6	01-11-2010 to 06-11-2010	Monday to Saturday
13.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	17-11-2010	Wednesday
14.	Muharram	1	17-12-2010	Friday
15.	Christmas	1	25-12-2010	Saturday

Notes :—

1. All the Sunday are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays falling on 9th January, 2010, 16th January, 2010, 13th February, 2010, 20th February, 2010, 13th March, 2010, 20th March, 2010, 10th April, 2010, 17th April, 2010, 8th May, 2010, 15th May, 2010, 12th June, 2010, 19th June, 2010, 10th July, 2010, 17th July, 2010, 14th August, 2010, 21st August, 2010, 11th September, 2010, 18th September, 2010, 9th October, 2010, 16th October, 2010, 13th November, 2010, 20th November, 2010, 11th December, 2010 and 18th December, 2010 shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. All Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are declared Non-working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. Mahavir Jayanti, Independence Day, Gurunanak Jayanti, falls on Sunday and Id-Ul-Fitr & Guru Ghasidas Jayanti, falls on closed Saturday therefore no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 17-05-2010 to 11-06-2010 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

6. The High Court shall remain closed from 20-12-2010 to 31-12-2010 on account of Winter Holidays but the Retistry shall remain open during Winter Holidays.

7. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fire, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2010.

By order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 26th October 2009

No. 159/L. G./2009/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, Granted earned leave for 05 days from 16-11-2009 to 20-11-2009 and permission to suffix holidays of 21st & 22nd November, 2009 along with permission to leave headquarters from the evening of 15-11-2009 till the morning of 23-11-2009.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 72 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar (ADMN).